न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

<u>पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
147 / 2022	01.12.2022	24.01.2023

अनवान

1. मनीष कुमार पुत्र भैरूलाल गर्ग जाति गरूडा आयु वयस्क निवासी तस्वारिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।

––प्रार्थी

बनाम

1. कालुराम पुत्र घीसा जाति सुथार आयु वयस्क निवासी तस्वारिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
2. दिनेश चन्द्र पुत्र नारायणलाल जाति सुथार आयु वयस्क निवासी तस्वारिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
3. भैरू पुत्र भुवाना जाति सुथार आयु वयस्क निवासी तस्वारिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
4. दिनाशंकर पुत्र राधाकिशन जाति मोची आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
5. भवानीशंकर पुत्र राधाकिशन जाति मोची आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
6. जगदीश पुत्र रामा जाति रेगर आयु वयस्क निवासी तस्वारिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
7. धनराज पुत्र प्रताप जाति रेगर आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
8. मांगीलाल पुत्र भैरूलाल रेगर आयु वयस्क निवासी तस्वारिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
9. लीला देवी पत्नी लक्ष्मीलाल रेगर आयु वयस्क निवासी तस्वारिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
10. हजारीलाल पुत्र डालचन्द रेगर आयु वयस्क निवासी तस्वारिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
11. देवकिशन पुत्र दाखी जाति रेगर आयु वयस्क निवासी [illegible]नेरिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)।
12. देवीलाल पुत्र खेमा जाति रेगर आयु वयस्क निवासी तस्वारिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
13. मांगीलाल पुत्र खेमा जाति रेगर आयु वयस्क निवासी तस्वारिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:43:40 IST
Reason: SelfAttested

14. मोहनलाल पुत्र कजोड जाति रेगर आयु वयस्क निवासी तस्वारिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
15. लक्ष्मणलाल पुत्र कजोड जाति रेगर आयु वयस्क निवासी तस्वारिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
16. भूमिधारी तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

——अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री पवन शर्मा प्रार्थी

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा तस्वारिया पटवार हल्का भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 430 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 195 रकबा 1.87 है0 स्थित है। जो प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा—चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 24.01.2023 को अप्रार्थी सं0 3 से 9, 12, 13, 15 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी सं0 1, 2, 10 ने पत्थरगढी की जाने में कोई आपत्ति नहीं है अंकित कर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। बहस एकतरफा बाबत निवेदन किया। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

Web Copy - Not Official

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैर बहस का खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर—बहस की नपती करा कर (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमांकन कराने का अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा तस्वारिया पटवार हल्का भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074—2077 के खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:43:40 IST
Reason: Self Attested

संख्या 430 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 195 रकबा 1.87 है0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 24.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:43:40 IST
Reason: SelfAttested